(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2901–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–06–2012 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बैरागढ़ वृत्त जिला भोपाल, प्रकरण क्रमांक 42/अपील/2010–11.

1–श्रीमती कल्लोबाई पत्नी स्वर्गीय श्री गोपालदास,
निवासी म0नं045, अहीर मोहल्ला जहॉगीराबाद,
जिला भोपाल
2–श्रीमती गोमतीबाई पत्नी श्री हरिप्रसाद यादव,
निवासी मकान नं.56 पंचवटी फेस–3,करोंद,
जिला भोपाल

..............आवेदकगण

विरूद्ध

1–जयमहादेव रियल इस्टेट भागीदारी फर्म,
द्वारा भागीदार जयप्रकाश आसवानी
आत्मज स्वर्गीय श्री भूरोमल आसवानी
निवासी ए–18/186 बैरागढ़ भोपाल
2–श्री गुलाबसिंह आत्मज स्व.अमरसिंह,
निवासी एच–43 निशात कालोनी,
भोपाल

..............अनावेदकगण

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री कैलाश बंसल, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/12/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, बैरागढ़ वृत्त जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिकागण द्वारा संशोधन पंजी कमांक 16 पर तहसीलदार नजूल बैरागढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—2—2011 के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28—6—12 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) आवेदिकागण स्वर्गीय पन्नालाल की पुत्रियॉं हैं और उनके दो पुत्र कालूराम एवं लक्ष्मीनारायण है, इस प्रकार स्वर्गीय पन्नालाल की भूमियों में चारों वारिस को बराबर का हक प्राप्त है, जबकि भाई कालूराम एवं लक्ष्मीनारायण ने आवेदिकागण को भूमि दिये बिना ही व सूचना दिये बिना ही फौती नामान्तरण दोनों के नाम कराते हुये उक्त भूमि कई लोगों को विकय कर दी है, जिसके संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है ।

(2) अनावेदक कमांक 2 द्वारा उक्त भूमि के अंश के भाग का विकय अनावेदक कमांक 1 को किये जाने के फलस्वरूप नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस संबंध में आवेदिकागण द्वारा तहसील न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी,जिसे अनावेदक कमांक 1 को सद्भाविक केता मानते हुये निरस्त की गई है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है।

(3) संहिता की धारा 109 के अन्तर्गत केवल विधिक रूप से अर्जित स्वत्व के आधार पर राजस्व न्यायालयों को नामान्तरण करने का अधिकार है जब व्यवहार वाद विचाराधीन है एवं संहिता की धारा 164 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदिकागण मृतक भूमिस्वामी के विधिक वारिस हैं, इसलिये वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हो जाती हैं तथा व्यवहार वाद के विचाराधीन रहने से संबंधित केता अनावेदक कमांक 1 को कोई स्वत्व अर्जित नहीं होते हैं।

इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिकागण की आपत्ति निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने व अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1989 में अनावेदक कमांक 2 द्वारा स्वर्गीय पन्नालाल के उत्तराधिकारी कालूराम एवं लक्ष्मीनारायण से पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की जाकर वर्ष 1991–92 में उसका नामान्तरण हुआ है, तब से खसरों में उसका नाम चला आ रहा है ।

(2) अनावेदक कमांक 2 द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का विकय अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में किया गया है और उसका नामान्तरण भी हो गया है ।

(3) मृतक भूमिस्वामी पन्नालाल के वारिस द्वारा अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में हुये नामान्तरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो कि आदेश दिनांक 5–6–2010 से निरस्त कर दी गई है, इसलिये अनावेदक कमांक 2 के पक्ष में पारित नामान्तरण आदेश अंतिम हो गया है ।

(4) उपरोक्त आधार पर भूमि का बटांन तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 24–1–2009 से कर दिया गया है ।

(5) आवेदिकागण द्वारा जब अनावेदक कमांक 2 के पक्ष में हुये नामान्तरण को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है तब अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में हुये नामान्तरण को चुनौती नहीं दी जा सकती है और यदि आवेदिकागण अपने आप को स्व0पन्नालाल की पुत्रियॉं मानती है तो वह प्रथम नामान्तरण आदेश से ही व्यथित होगी ।

(6) आवेदिकागण द्वारा पचन अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष 30 व्यक्तियों के विरूद्ध व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है, जो पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार 20 दिसम्बर 2004 के पूर्व किये गये संपत्ति के व्ययन या अन्य संक्रमण किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करने के संबंध में प्रावधान है तथा स्व0पन्नालाल की मृत्यु 50 वर्ष पूर्व हो गई है, इसलिये आवेदिकागण को प्रश्नाधीन भूमियों में कोई हक प्राप्त नहीं होता है ।

(7) आवेदिकागण तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थी और उनका नाम राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज नहीं है, इसलिये उन्हें निगरानी प्रस्तुत करने का भी अधिकार नहीं है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदकगण मृतक भूमिस्वामी की पुत्रियॉं होकर प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन्हें अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं मानते हुये अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई है, जो कि जहॉं विधि एवं न्याय की गंभीर भूल है वहीं नैसर्गिक न्याय की अवहेलना है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश में उल्लेख किया गया है कि उभयपक्ष के मध्य प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का यह विधिक एवं न्यायिक दायित्व था कि वे आवेदकगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देकर अपील का गुणदोष पर निराकरण करते । दर्शित परिस्थितियों में प्रकरण में विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये गुणदोष पर निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, बैरागढ़ वृत्त जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—6—2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त

विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 2903—पीबीआर/12, 2909—पीबीआर/12 2910—पीबीआर/12, 2911—पीबीआर/12 एवं 2912—पीबीआर/12 पर भी लागू होगा । अतः इस प्रकरण में पारित आदेश की मूलप्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर